निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 30 पटना, बुधवार, 1 श्रावण 1936 (श0)

23 जुलाई 2014 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1 नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-13
भाग-1-क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2 बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	14-20
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---

	पृष्ठ
भाग-5 बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9 विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	21-21
पूरक	---
पूरक-क	22-23

पटना उच्च न्यायालय, पटना

अधिसूचना

16 जनवरी, 2014

सं० 34 (रूल्स)— सूचना का अधिकारी अधिनियम, 2005 की धारा 2(e) (iii) सहपठित धारा 28 की उप–धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकारी) नियमावली, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, जिसे बिहार राजपत्र (असाधारण) अंक में निम्नवत प्रकाशित किया जाना है:–

(1) संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभः– (i) इस नियमावली को पटना उच्च न्यायालय सूचना का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2014 के नाम से जाना जाएगा।

(ii) यह संशोधन सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

(2) पटना उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकारी) नियमावली, 2005 के नियम 4 (1) में संशोधनः– नियम 4 (1) को रूपांतरित कर इस तरह पढ़ा जाएगा –

"यदि प्रार्थित सूचना प्राधिकृत व्यक्ति के क्षेत्राधिकार में नहीं है और दूसरे लोक प्राधिकार के क्षेत्रान्तर्गत है तो आवेदन पत्र को दूसरे वैसे लोक प्राधिकार को स्थानान्तरित कर देंगे एवं स्थानान्तरण की समुचित सूचना आवेदक को देंगें।

(3) पटना उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार) अधिनियम 2005 के नियम 4 (3) में संशोधनः–इस नियम के अंतिम भाग " और शेष भाग को अस्वीकार कर इसके कारण का उल्लेख करते हुए " को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा – " कारण का उल्लेख करते हुए एवं अनुरोध के उस भाग को जो उनके क्षेत्राधिकार के बाहर है, दूसरे प्राधिकृत व्यक्ति को स्थानान्तरित कर इसकी सूचना आवेदक को देंगे। "

(4) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) एवं (2) एवं धारा 19 में अपेक्षित उक्त अधिनियम के सम्बन्ध में निर्गत उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या 452 दिनांक 19.10.2005 द्वारा पदाभिहित अपीलीय प्राधिकार, जन सूचना पदाधिकारी एवं सहायक जन सूचना पदाधिकारी जो उच्च न्यायालय को छोड़कर जिला एवं अन्य न्यायालयों से सम्बन्धित है, अप्रवर्तनीय होगा।

उनसे सम्बन्धित अधिसूचना उच्च न्यायालय के अनु ांसा पर संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत सरकार द्वारा निर्गत किया जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, निबंधक (निगरानी)।

THE 16TH JANUARY 2014

No. 34 (Rules) —In exercise of powers conferred by sub-section (I) of section 28 read with section 2(e)(iii) of the Right to Information Act, 2005 the Chief Justice of Patna High Court makes the following amendments in the Patna High Court (Right to Information) Rules, 2005, published in the Bihar Gazette (Extraordinary) as under:--

(1) *Short Title and Commencement.* (i) These Rules shall be called "The Patna High Court (Right to Information) (Amendment) Rules, 2014.

(ii) The amendment shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

(2) *Amendment in Rule 4(1) of Patna High Court (Right to Information) Rules, 2005:-*
Rule 4(1) is modified to be read as follows: **"If the requested information does not fall within the jurisdiction of the authorized person and falls within the jurisdiction of another public authority, then the application so made shall be transferred to other such public authority with a due information of transfer to the applicant."**

(3) *Amendment in Rule 4(3) of Patna High Court (Right to Information) Rules, 2005:-*
The last part of this Rule **"and reject the remaining part giving reasons therefore"** be substituted by **"giving reasons therefore and transfer that part of the request, which falls outside his jurisdiction, to the other authorized person with intimation to the persons seeking information."**

(4) The High Court Notification No. **452 dated 19.10.2005** issued with regard to section 5(1) & (2) of the Right to Information Act, 2005 designating Appellate Authority, P.I.Os. and A.P.I.Os. as required u/s 19 of the said Act, in so far as it relates to the District and other Courts except High Courts, Stands inoperative.

The notification in respect of them would have to be issued by the Government on recommendation of the High Court in terms of Article 235 of the Constitution.

By orders of the Chief Justice,
sd/Illegible, ***Registrar (Vigilance).***

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 18—571+100-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in